न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 06/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अन्य ग्रामीण ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

लखन महतो ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

12/3/25

अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 16.01.2025 की प्रभावी तिथि से भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया :-

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	अंचल	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
टाटो	बिरनी	30	22	35	5.75 ए0
चौहद्दी :	उ0- परती कदीम, द0- रोड़, पू0- निज, प0- रोड़,				

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष 'अन्य ग्रामीण' की ओर से महेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता स्व0 गोविन्द महतो साकिन- टाटो, बिरनी उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष के द्वारा राजस्व संबंधी साक्ष्यों को List of documents बनाकर W/S दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष लखन महतो अपनी कारण पृच्छा में कहते हैं कि विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा उनके पूर्वज उगर महतो के नाम से हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है। साथ ही वे आगे बयान करते हैं कि उक्त भूमि उनके दखल कब्जे की है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-II भाग सं0- 01, पृष्ठ सं0- 69, मौजा- टाटो पर दर्ज है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा की छायाप्रति, फर्द अमीन रिपोर्ट की छायाप्रति, online पंजी-II की छायाप्रति, तीन offline लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रारंभिक प्रतिवेदन पत्रांक 45/बिरनी दिनांक 13.01.2025 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म जमीन परती कदीम है। वाद की सुनवाई पूर्ण होने तक द्वितीय पक्ष के जमाबन्दी की जाँच प्रतिवेदन, जो कि अंचल अधिकारी बिरनी से मांगा गया था, अप्राप्त था।

उभय पक्ष को सुनने, अंचल अधिकारी बिरनी के प्रारंभिक प्रतिवेदन के अवलोकन तथा द्वितीय पक्ष के राजस्व कागजातों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि द्वितीय पक्ष सादा हुकुमनामा के जरिए उक्त भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। साथ ही द्वितीय पक्ष कोई खालसा रसीद, जमीन्दारी लगान रसीद, नियमित अंतराल पर निर्गत सरकारी लगान रसीद या ऑफलाइन जमाबन्दी किस प्राधिकार से कायम हुई यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। चुँकि मामला गैरमजरूआ खाते का है अत: यह जमाबन्दी संदिग्ध प्रतीत होती है।

अंचल अधिकारी, बिरनी को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय पक्ष के दावे तथा राजस्व कागजातों तथा उक्त कागजातों के आधार पर यदि कोई जमाबन्दी कायम हुई है तो उक्त जमाबन्दी की वैधता की सूक्ष्मता से जाँच करते हुए फलाफल के आधार पर विधिसम्मत निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।

वाद के सुनवाई के क्रम में ही निषेधाज्ञा उल्लंघन का आवेदन प्राप्त हुआ है उक्त उल्लंघन की पुष्टि हेतु B.N.S. की धारा 223 के तहत कार्यवाई आरंभ की जाती है। धारा 223 के तहत आरोपों की जाँच हेतु 1.6.5.25 ..... तिथि निर्धारित की जाती है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति द्वितीय पक्ष तथा अंचल अधिकारी, बिरनी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

12/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

12/3/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.29 13:11:32 +05:30
Location: 192.168.137.1